भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2275

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

आईटी और आईटीईएस कर्मचारी

2275. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस) के कर्मचारियों ने देश में अनुचित श्रम पद्धतियों से संरक्षण हेतु कोई मजदूर संघ गठित करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसे कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले क्षेत्रों में कार्यरत आईटीईएस/आईटी कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन राज्यों में उक्त प्रकार के उल्लंघन की सूचना मिली है वहां यूनियनों/फोरमों द्वारा इनके समाधन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और

(ङ) भविष्य में ऐसे कर्मचारियों हेतु श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के क्या प्रभाव होंगे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): "श्रम" समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अत: केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने संबंधित श्रम कानूनों के अनुसार कार्रवाई करती हैं। ट्रेड यूनियन संबंधित राज्य कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते हैं। राज्यों में ट्रेड यूनियनों के गठन से संबंधित कोई सूचना तथा राज्यों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटान/ उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान से संबधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जातीं।

तथापि, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य के श्रम प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से समय-समय पर निरीक्षण कराता है तथा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में उत्पन्न विवादों/शिकायतों को निपटान हेतु उन्हें सौंप देता है ताकि आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों सहित कामगरों के हितों की रक्षा हो सके।

*****